


## फर्द अहकाम

न्यायालय संकरलाल उर्फ = शकुन्तला देवी  
 न्याया संवत् १९६६ ५८/१८

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
०५-८-२१	<p>             पत्रावली पेशद्वारा वादी/अधिकार              (कानूनपर) न्यायालय सभ में उम्त को              स्वक-स्वकर आवाजे दिलाई गई। बाद              इंजाय उम्त के उपलब्ध नहीं होने पर              उनवानी बादपत्र अदल-दाजरी/अदल परवी              में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशल              -शुभार, नम्बर से कल हो। निर्णय सर              इफलास हुआ गया।           </p> <p style="text-align: right;">               उप न्यायाधिकारी              जयपुर (प्रथम) जयपुर           </p>